परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग
प्रस्तावित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2022

1.	**योजना का नाम :–**	वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2022
2.	**योजना प्रारंभ वर्ष :–**	वर्ष 2013 से रेल तथा वर्ष 2016 से रेल एवं हवाई यात्रा सम्मिलित की गई।
3.	**योजना का उद्धेश्य व संक्षिप्त विवरण :–**	इस योजना का उद्धेश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार देश/देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।
4	**तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि:–**	स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन तथा निर्धारित यात्रा का व्यय
5.	**योजना में कुल लाभार्थियों की विभागीय सीमा:–**	**18000, रेलमार्ग से।** **2000, वायुयान मार्ग से।** इसमें आयुक्त,देवस्थान विभाग द्वारा तीर्थ स्थल हेतु आवदेकों की संख्या तथा यात्रा की संभावना के आधार पर उक्त संख्या तथा अनुपात में परिवर्तन किया जा सकेगा।
6.	**तीर्थ स्थानों की सूची :–**	यात्रा हेतु तीर्थ स्थान इस प्रकार है :– **रेल द्वारा :–** 1. रामेश्वरम्–मदुरई 2. जगन्नाथपुरी 3. तिरूपति 4. द्वारकापुरी–सोमनाथ 5. वैष्णोदेवी–अमृतसर 6. प्रयागराज–वाराणसी 7. मथुरा–वृंदावन 8. सम्मेदशिखर–पावापुरी 9. उज्जैन–ओंकारेश्वर 10. गंगासागर (कोलकत्ता) 11. कामाख्या (गुवाहटी) 12. हरिद्वार– ऋषिकेश 13. बिहार शरीफ 14. वेलनकानी चर्च (तमिलनाडू) **हवाई जहाज द्वारा :–** 1. पशुपतिनाथ–काठमाण्डु(नेपाल) **नोट :–** उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा कुछ स्थानों को आवश्यकतानुसार बाद में भी सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा। तीर्थ यात्रा हेतु निर्धारित प्रस्थान स्थल भी विज्ञप्ति में वर्णित होंगे। विषम परिस्थिति में प्रस्थान/ गंतव्य स्थल परिवर्तित करने का अधिकार आयुक्त, देवस्थान विभाग को होगा।
7.	**यात्रा पर जाने के लिये पात्रता :–**	इस योजना के अन्तर्गत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होगी– 1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का हो।**(60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रैल, 2022 को आधार मान कर की जायेगी) अर्थात आवेदक का जन्म 01 अप्रेल 1962 से पूर्व का हो।** 2. आयकरदाता न हो। 3. आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो। 4. इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने जाने संबंधी आशय का स्वः घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लघन किया गया है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 5. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। 6. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी0बी0,कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, **Coronary** अपर्याप्तता, **Coronary thrombosis** मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।